Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ## तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में पटवारी को 1500/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 30 मई, शुक्रवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भीलवाड़ा–प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री बबलू धोबी निवासी ग्राम कादीसहना पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा पटवारी पटवार हल्का लसाडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी से उसके पिता के नाम ग्राम लसाडिया में खसरा नम्बर 291,414 एवं 535 कुल 6 बीघा भूमि का पिताजी की मुत्यु के उपरान्त परिवादी के परिजनों के नाम विरासत से इन्तकाल खुलवाने के लिये पटवारी श्री बबलू धोबी पटवारी से दिनांक 22.04.2025 को तहसील कार्यालय में मिला तो पटवारी नें दस्तावेजात् ऑनलाईन करवाने एवं आगे की कार्यवाही करने की एवज में 2000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। दौराने सत्यापन भी 500 रूपये की रिश्वत राशि मांग कर ग्रहण करना पाया गया। शेष रिश्वत राशि 1500 रूपये आज दिनांक 30.05.2025 को तहसील कार्यालय शाहपुरा में रिश्वत राशि बरामद की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी भीलवाडा–प्रथम को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादी से उसके पिता के नाम ग्राम लसाडिया में खसरा नम्बर 291,414 एवं 535 कुल 6 बीघा भूमि का पिताजी की मृत्यु के उपरान्त परिवादी के परिजनों के नाम विरासत से इन्तकाल खुलवाने के लिये पटवारी श्री बबलू धोबी पटवारी से दिनांक 22.04.2025 को तहसील कार्यालय में मिला तो पटवारी ने दस्तावेजात् ऑनलाईन करवाने एवं आगे की कार्यवाही करने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांगकर परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरविजन में एसीबी चौकी भीलवाडा–प्रथम के **पुलिस निरीक्षक श्रीमती कल्पना** द्वारा दिनांक 30.05.2025 को मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी द्वारा 1500/- रूपये की रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त की गई जिसे आरोपी की पेन्ट की जेब से बरामद की गई।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।